"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 103] रायपुर, बुधवार, दिनांक 26 फरवरी 2014—फाल्गुन 7, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-1/2008/1-7. — छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्र. 30 सन् 2002) की धारा 17 सहपठित धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, प्रमुख लोकायुक्त के परामर्श से, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक आयोग कार्यालय सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में-

1. सरल क्रमांक 13 के कॉलम (6) में, शब्द "मण्डल" के स्थान पर शब्द "संस्था" प्रतिस्थापित किया जाए.

2. सरल क्रमांक 13 के कॉलम (9) में, शब्द "प्रतियोगी परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा" के पश्चात् स्लैश एवं शब्द "/प्रमुख लोकायुक्त के द्वारा यथा निर्धारित उपयुक्तता के अध्यधीन रहते हुए, स्थापना के ऐसे आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, जिनके पास आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के रूप में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव हो, के बीच से पदोन्नति द्वारा" जोड़ा जाए.

3. सरल क्रमांक 15 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाए, अर्थात् :-

स. क्र.	पदों का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	वर्गीकरण	योग्यता	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	भर्ती का तरीका
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
"16.	कुशल आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाला कर्मचारी	02	कलेक्टर दर	चतुर्थ श्रेणी	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा पांचवी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.	21 वर्ष	33 वर्ष	चयन, प्रमुख लोकायुक्त के विवेकानुसार किया जायेगा और सेवा की अवधि, प्रमुख लोकायुक्त के समतुल्य (को-टर्मिनस) होगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 4-1/2008/1-7. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-1/2008/1-7 दिनांक 26 फरवरी, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

New Raipur, the 26th February 2014

NOTIFICATION

No. F 4-1/2008/1-7. — In exercise of the powers conferred by Section 17 read with sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Lok Ayog Adhiniyam, 2002 (No. 30 of 2002), the State Government in consultation with the Pramukh Lokayukt, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Lok Ayog Karyalaya Service (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2009, namely :-

AMENDMENT

In the Schedule of the said rules,-

1. In column (6) of serial number 13, for the word "Board", the word "Institution" shall be substituted.

2. In column (9) of serial number 13, after the words "examination/selection", the slash and words "/by promotion from amongst the contingency paid employees of the Establishment, having minimum two years experience as contingency paid employees, subject to suitability as may be determined by Pramukh Lokayukta" shall be added.

3. After serial number 15, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :-

S. No. (1)	Name of Posts (2)	No. of Posts (3)	Pay scale (4)	Classi-fication (5)	Quali-fication (6)	Minimum Age (7)	Maximum Age (8)	Method of Recruitment (9)
"16.	Skilled Contingency paid employees	02	Collector rate	Class-IV	Must have passed Class-V Examination from any recognized Institution	21 Year	33 Year	The selection shall be made as per the descretion of Pramukh Lokayukta and the term of service shall be co-terminus with Pramukh Lokayukta".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.